न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.-0744-2325871

GCMS NO.-2024/193
मिसल नम्बर- 63/2024

1.रविन्द्र सिंह पुत्र भीकम सिह आयु 60 वर्ष जाति राजपूत निवासी विनायक सुखधाम कॉलोनी सोगरिया तहसील लाडपुरा कोटा

2.सरोज सिह पत्नी रविन्द्र सिंह आयु 55 वर्ष जाति राजपूत निवासी विनायक सुखधाम कॉलोनी सोगरिया तहसील लाडपुरा कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

1.रिषभ सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह आयु 28 वर्ष जाति राजपूत निवासी विनायक सुखधाम कॉलोनी सोगरिया तहसील लाडपुरा कोटा

अप्रार्थी।

-:निर्णय:-

(भरण-पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना-पत्र।)

दिनांक 11/12/24

उपस्थिति:-

1.श्री राजकुमार वर्मा प्रार्थीगण अधिवक्ता।
2.श्री बृजबिहारी गोचर अप्रार्थी अधिवक्ता।

भरण-पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी क्रम 1 की रीढ़ की हड्डी में गंभीर रूप से स्लिप डिस्क एवं ऑस्टीयोपरेसिस की बीमारी है, उक्त बीमारी के कारण प्रार्थी क्रम 1 चलने फिरने व दैनिक कार्य करने में असमर्थ है तथा प्रार्थी क्रम 2 को हाई बी.पी., शुगर, थायराईड जैसी गंभीर बीमारिया हो गई है इस कारण प्रार्थीगण अपना स्वयं का भरण पोषण करने में पूर्णतया असक्षम हो गये है। प्रार्थीगण ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी से अप्रार्थी को पढ़ाया लिखाया तथा पढ़ने के लिये यूरोप भेजा, उक्त पढ़ाई में प्रार्थीगण ने अपना सारा धन खर्च कर दिया तथा अप्रार्थी के उज्ज्वल भविष्य के लिये अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अप्रार्थी यूरोप में अध्ययनरत रहते हुये बेल्जियम में नौकरी करने लग गया तथा वर्तमान में अप्रार्थी बेल्जियम में अमेजोनिया बायो कम्पनी में नौकरी करता है जहां से उसे 2,60,000/- रूप्ये प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। अप्रार्थी वर्ष 2019 से बेल्जियम में नौकरी कर रहा है। अप्रार्थी नौकरी लगने के बाद प्रतिमाह प्रार्थीगण को भरण पोषण हेतु 35,000/- रूप्ये प्रतिमाह दिया करता था जिससे प्रार्थीगण खाना-पीना हारी बीमारी कपड़े आना जाना आदि में खर्च किया करते थे लेकिन पिछले कुछ माह से अप्रार्थी ने प्रार्थीगण को भरण पोषण राशि देना बिल्कुल बंद कर दिया है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

बनाम

इस कारण प्रार्थीगण के पास जो भी रूप्ये पैसे थे पूरे समाप्त हो गये तथा प्रार्थीगण को भूखो मरने की नौबत आ गई है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुये प्रार्थीगण को अप्रार्थी से अपने भरण पोषण खाने-पीने, कपड़े चिकित्सा हेतु 35,000/- रूप्ये प्रतिमाह रूप्ये दिलवाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

प्रार्थना-पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी प्रार्थीगण को मासिक भरण पोषण अदा करना चाहता था किन्तु वेतन मिलने में देरी होने के कारण कुछ माह से अप्रार्थी भरण पोषण अदा नही कर पाया किन्तु भविष्य में अप्रार्थी भरण पोषण अदा करने के लिये तत्पर है।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। दौराने बहस उभयपक्ष की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एव जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। अप्रार्थी द्वारा कथन किया है कि वह अपने माता पिता को प्रतिमाह 35,000/- रूप्ये देने को तैयार व तत्पर है। प्रार्थीगण वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने के कारण प्रार्थीगण अपनी सार-सभांल स्वयं करने में असमर्थ हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को निर्देश दिया जाता है कि वह पूर्व की भांति अपने माता-पिता को 35,000/- रूपये मासिक भरण-पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण-पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद-विवाद उत्पन्न न हों।

उक्त निर्णय आज दिनांक 11/12/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय ★ कोटा ★ उपखण्ड अधिकारी

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा